बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक– 6 ए० / वि० – 10189/17 2820

प्रेषक,

राघवजी राम,
मुख्य अभियंता (यॉत्रिक)।

F-Mail

सेवा में,

सभी क्षेत्रीय कार्यपालक अभियंता (यॉत्रिक सहित)
लोक स्वा0 अभि0 विभाग।

पटना, दिनांक– 01/12/17

विषयः लघु खनिजों को बिहार राज्य खनिज निगम लि0 से क्रय करने हेतु रजिस्ट्रेशन कराने के संबंध में।

प्रसंगः खान एवं भूतत्व विभाग का पत्रांक–7227/एम0, दि0 24.11.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि खान एवं भूतत्व विभाग के प्रासंगिक पत्र द्वारा दि0 27.11.17 को विभागीय नोडल पदाधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। प्रशिक्षण के दरम्यान सूचित किया गया है कि सरकारी कार्यो के लिए आवश्यक सभी प्रकार के लघु खनिज, बिहार राज्य खनिज निगम लि0 (BSMC Ltd.) के द्वारा जिला में पंजीकृत विक्रेता के माध्यम से Online संवेदकवार एवं कार्यवार उपलब्ध कराया जाएगा।

उक्त कार्य हेतु विभाग के सभी क्षेत्रीय कार्यपालक अभियंता का पंजीकरण खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा किया जाना है ताकि उन्हें User Id एवं Password उपलब्ध कराया जा सके, जिसके लिए प्रपत्र– I संलग्न है।

साथ ही संवेदकवार एवं योजनावार लघु खनिजों की कुल आवश्यकता का आकलन कर संलग्न विहित प्रपत्र –II मे सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।

अतः निर्देश है कि–

1. पंजीकरण हेतु संलग्न विहित प्रपत्र – I में सूचना अंकित कर E-mail के माध्यम से विभागीय आई0 टी0 मैनेजर को 24 घण्टा के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

2. संवेदकवार एवं योजनावार लघु खनिजों की कुल आवश्यकताओं का आकलन कर संलग्न विहित प्रपत्र – II मे सूचना E-mail के माध्यम से अविलम्ब आई0 टी0 मैनेजर को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु ससमय लघु खनिजों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकें।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझें।

अनु0–यथोपरि।

विश्वासभाजन,

(राघवजी राम)
मुख्य अभियंता (यॉत्रिक)

ज्ञापांक– 2820 पटना, दिनांक– 01/12/17

प्रतिलिपिः–सभी क्षेत्रीय अधीक्षण अभियंता, लो0 स्वा0 अभि0 विभाग (यॉत्रिक सहित)/सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लो0 स्वा0 अभि0 विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राघवजी राम)
मुख्य अभियंता (यॉत्रिक)

ज्ञापांक– 2820 पटना, दिनांक– 01/12/17

प्रतिलिपिः–श्रीमति स्नेह लता, आई0 टी0 मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निर्देश है कि क्षेत्रीय कार्यालयों से प्रपत्र – I एवं प्रपत्र – II मे सूचना प्राप्त कर Hardcopy एवं Softcopy में ससमय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगी।

(राघवजी राम)
मुख्य अभियंता (यॉत्रिक)